आवासीय सुविधा

विश्वविद्यालय में पाँच : टैगोर,विवेकानंद,रमन,भाभा और निवेदिता छात्रावास है । टैगोर और विवेकानंद छात्रावास दोनों में १६८-१६८ कमरे है । रमन छात्रावास में ५० कमरे है और भाभा छात्रावास में २४ कमरे है तथा निवेदिता छात्रावास में २५० छात्राओं के लिये २६० कमरो की व्यवस्था है। सभी छात्रावासों में प्रत्येक कमरे में दो-दो विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था है। भाभा छात्रावास में केवल शोध छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

छात्रावासों में प्रवेश की पात्रता

(क) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के नियमित छात्रों और शोध-छात्रों को ही छात्रावास में प्रवेश की पात्रता है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र, परीक्षा न देने वाले छात्र, छात्रावास से निष्कासित किये गये छात्र और विगत सत्र में गंभीर अनुशासनहीनता के प्रकरण में दोषी छात्र को छात्रावास में प्रवेश नही दिया जायेगा । जिन छात्रों के विरुद्ध पुलिस थाना/न्यायिक अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित है उन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, न ही उनके प्रवेश का नवीनीकरण किया जायेगा ।

(ख) बारहवीं कक्षा (१०+२) उत्तीर्ण करने के पश्चात् के छः वर्षो तक ही छात्रावासों में प्रवेश की पात्रता होगी । उक्त अवधि के पश्चात् केवल शोध छात्रों को, जगह उपलब्ध होने पर, भाभा छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक सागर नगर तथा विश्वविद्यालय परिसर के आवासी है उन्हें छात्रावासों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

आवेदन पत्र

परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से १५ दिन बाद तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । निर्धारित आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर बारहवीं (१०+२) कक्षा और पिछली परीक्षा की प्रमाणित अंकसूची संलग्न कर निर्धारित तिथि के अदंर छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा । आवेदन पत्र में छात्र की फोटो लगना आवश्यक है । अपूर्ण आवेदन - पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे ।

प्रवेश में प्राथमिकता

प्रत्येक कक्षा और विषय के लिये छात्रावासों में सीट की संख्या निर्धारित होती है । पिछली परीक्षा में प्राप्त अंको (मेरिट) के आधार पर प्रवेश दिया जाता है जिन विषयों कक्षाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। उनमें प्रवेश पूर्व परीक्षा की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर प्रवेश दिया जाता है । प्रावीण्य सूची के सभी छात्रों को छात्रावास में प्रवेश देना अनिवार्य नही है।

१. विगत सत्र के छात्रावासियों को,“क” और “ख” में उल्लिखित प्रकरण न होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

२. विदेशों से आये छात्रों को उनकी सरकार या दूतावास द्वारा दिये प्रमाण-पत्र एवं भारत सरकार के गृह विदेश मंत्रालय की स्वीकृति/अनुमति पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

३. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को उनके लिए आरक्षित कमरो में प्रवेश दिया जायेगा । इस श्रेणी के आवेदन-पत्र उप संचालक,आदिवासी कल्याण विभाग, सागर के मार्फत स्वीकार किये जायेंगे।

४. विकलांग छात्रों,भारतीय सेना में कार्यरत व्यक्तियों का शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानांतरण होने पर उनके पुत्र-पुत्रियों और राज्य सरकारों द्वारा नामांकित छात्रों को उनके आरक्षित कोटा के अनुसार प्रवेश दिया जाता है।

५. विगत सत्र के छात्रावासियों पर छात्रावास शुल्क बकाया होने पर, संकाय परिवर्तित करने पर (बी.ए.,बी. एससी.बी.कॉम.,एम.ए.एम.एससी.,एम.कॉम., बी.एड.,विधि, पुस्तकालय विज्ञान,पत्रकारिता, एम.बी.ए.में प्रवेश लेने पर) छात्रावास में प्रवेश के नवीनीकरण की पात्रता नहीं हागी । संकाय परिवर्तन करने पर उनके आवेदन पर प्रवेश के नियमानुसार किया जायेगा।

६. शिक्षण सत्र में संकाय/विषय परिवर्तित करने पर प्रवेश निरस्त कर छात्र के आवेदन पर नियमानुसार पुनर्विचार किया जायेगा ।

७. छात्रावासी अपनी शिकायतें छात्रावास प्रबंधक और अधीक्षक को करें।

शुल्क :छात्रावास का

१.	प्रवेश के लिये आवेदन पत्र एवं नियम पुस्तिका शुल्क		रु. २०=००
२.	सुरक्षा निधि	(एक बार)	रु. ३००=००
३.	कमरे का किराया (प्रतिमाह/प्रतिछात्र)	प्रतिमाह	रु. ३४०=००
	त्रैमासिक देय (जल, विद्युत व अन्य शुल्क सहित)		
४.	पाक सामग्री शुल्क	प्रतिसत्र	रु. १०=००
५.	छात्र समिति शुल्क	प्रतिसत्र	रु. २५=००
६.	सुविधा शुल्क	प्रतिसत्र	रु. १२०=००
७.	कैजुअल (प्रावधिक) छात्र से कमरा किराया+विद्युत शुल्क	प्रतिमाह	रु. ४५०=००

- ▶ प्रावधिक प्रवेश एक बार में अधिकतम तीन माह के लिये दिया जायेगा। पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु आने वाले परीक्षार्थियों को भी छात्रावास में जगह होने पर प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- ▶ जमा की गई शुल्क की अवधि समाप्त होने पर १५ दिनों के पश्चात् भी शुल्क जमा नहीं करने पर प्रत्येक छात्रावासी को प्रतिदिन एक रुपया विलंब शुल्क देना होगा। यह शुल्क कैजुअल के विद्यार्थियों पर भी लागू होगा।
- ▶ **३१ अक्टूबर के बाद कमरा खाली करने पर पूरे सत्र का शुल्क जमा करना होगा।**
- ▶ शोध छात्रों के लिये प्रतिसत्र अपने कमरे का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नवीनीकरण न कराने पर और किसी भी परिस्थिति में कमरा खाली नहीं करने पर कमरे के किराये और विद्युत शुल्क के अतिरिक्त रु. ५०=०० (पचास रुपया) प्रतिमाह जुर्माना देना होगा।
- ▶ कोई अनधिकृत व्यक्ति यदि छात्रावास में रूका पाया गया तो उस कमरे में रहने वाले छात्र को रु. ५०=०० (पचास रुपया) जुर्माना देना होगा।
- ▶ छात्रावास में छात्रों की संख्या पूर्ण होने पर विगं प्रिफेक्ट की नियुक्ति प्रतिपालक की अनुमति से की जा सकती है। विगं प्रीफेक्ट का कमरे का किराया माफ रहेगा। परन्तु विद्युत एवं जल शुल्क और अन्य शुल्क देने होंगे।

प्रवेश

छात्रावास प्रशासन द्वारा घोषित तिथि से छात्रावासों में प्रवेश प्रारंभ होता है । छात्रावास कार्यालय द्वारा प्रवेश सूची (एडमीशन लिस्ट) प्रकाशित करने के बाद १० दिन के अदंर निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी रसीद छात्रावास कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी । जिन छात्रों को पहली बार छात्रावास में प्रवेश लेना है उन्हें अनिवार्यतः अपने पिता/अभिभावक को साथ लेकर आना होगा तभी उन्हें कमरा आवंटित होगा । छात्र के लिखित आवेदन पर ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए १० दिन के बजाए १५ दिन का अवसर प्रदान किया जा सकता है कमरा आवंटन के पूर्व अपनी फोटो की दो प्रतियाँ छात्रावास कार्यालय में जमा करनी होंगी। छात्रावास में प्रवेश लेने के पूर्व छात्रावास के नियमों के पालन का शपथ पत्र भरना होगा ।

छात्रावास के नियम

नया सत्र चालू होने पर पिछले सत्र के समस्त आवंटन रद्द हो जायेंगे । स्नातकोत्तर एवं एलएल.बी. अंतिम वर्ष के छात्रावासियों को परीक्षाओं की समाप्ति पर कमरा खाली कर छात्रावास प्रशासन को सौंपना होगा अन्यथा उनका परीक्षाफल रोक लिया जायेगा ।

कार्यालय द्वारा आवंटित सीट में पूर्व अनुमति के बिना छात्र परिवर्तन नहीं कर सकतें हैं। अनाधिकृत रूप से छात्रावास में रहने वाले व्यक्तियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायगा । जिस कमरे में अनधिकृत व्यक्ति रहता पाया जाता है उस कमरे के आवासी छात्र का आवंटन निरंस्त कर दिया जायेगा ।

निर्धारित शुल्क जमा न करने पर आवंटन रद्द कर दिया जायेगा पुनः प्रवेश के लिय बकाया छात्रावास

शुल्क के अतिरिक्त २५ रुपये का अर्थदण्ड देना होगा । ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने के पूर्व छात्रावास प्रशासन द्वारा प्रदत्त समस्त सामग्री सहित अपना कमरा प्रतिपालक को सौपना होगा ।

छात्रावास के अधिकारियों कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, नियमो के उल्लंघन, अनुशासनहीनता, छात्रावास की सम्पत्ति का नुकसान और परस्पर लड़ाई-झगड़ा,जुआ खेलना,नशीले द्रव्यों के सेवन और घातक हथियार रखने पर छात्रावासी को निष्कासित कर दिया जायेगा । आवश्यक होने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी । अभद्रता और अनुशासनहीनता के लिए उकसाने वाले छात्र को भी निष्कासित कर दिया जायेगा।

कमरे में भोजन पकाने और बिजली के हीटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है । निर्धारित विद्युत शुल्क के अतिरिक्त वर्ष के अन्त में जो भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा छात्रावासी को देना होगा । छात्रावास में बहुमूल्य सामग्री स्वयं की जिम्मेदारी पर ही कमरे में रखें।

छात्रावास अपनी शिकायतें छात्रावास प्रबधं और अधीक्षक के मार्फत प्रतिपालक तक पहुँचाएँ। प्राकृतिक एवं परिस्थितिजन्य दुर्घटनाओं के लिये छात्रावास तथा विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

सुविधाएँ

प्रत्येंक छात्रावासी को चारपाई, टेबिल, कुर्सी, बुक शेल्फ अलमारी, कमरे मे बिजली की फिटिंग छात्रावास प्रशासन द्वारा प्रदत्त किये जायेंगे । कॉमन रूप में टी.वी., रीडिंग रूम में पत्र-पत्रिकाएँ तथा खेलकूद की सामग्री उपलब्ध है। छात्रावास परिसर में खेलकूद के मैदान की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय की ओर से कमरों की सफाई के लिए खण्ड-सेवक तथा परिसर और प्रसाधन गृहों की अपमार्जक की व्यवस्था है । प्रत्येक छात्रावास में टेलीफोन की सुविधा है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अलावा यदि अन्य सुविधाएँ छात्रावास प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है । पूर्व अनुमति के बिना अन्य व्यक्तिगत सुविधाओं की छात्रावासी द्वारा व्यवस्था करने पर तत्काल बंद कर दी जायगी और आवश्यक होने पर छात्रावासी की सुविधा सामग्री जप्त कर ली जायेगी । खण्ड सेवकों से व्यक्तिगत कार्य लेने की अनुमति नहीं है।

भोजन व्यवस्था

प्रत्येक छात्रावास में किचिन और भोजन कक्ष है । छात्रावासियों के कोऑपरेटिव मेस छात्रावासियों के द्वारा ही संचालित होते है । छात्रावास प्रशासन फर्नीचर, बर्तन, पानी, पाकशाला और भोजन कक्ष उपलब्ध कराता है । विवाद की स्थिति में प्रतिपालक का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा ।